



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग,
खण्ड, चितौड़गढ़
“शास्त्रीनगर, चितौड़गढ़ - 312001



क्रमांक :- अअ./ खचि/ /2019-20/
श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ,
राजस्थान - जयपुर।

607

दिनांक :- 3-5-19

विषय :- अमृत योजना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अरबन चितौड़गढ़ के लिए 0.016
हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावरण बाबत (Proposal No. FP/ RJ/ WATER/ 35465/
2018 Dt. 06.09.2018).

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय की ई.डी.एस. दिनांक 27.05.2019 & EDS दिनांक
27.12.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रपोजल में आपके कार्यालय द्वारा लगाई
गई ई.डी.एस. दिनांक 27.05.2019 का बिन्दुवार पालना निम्नानुसार है :-

A. Compliance of EDS dated 27.12.2018 was submitted by this office vide letter No. 293
dated 02.05.2019 (online submitted on dated 03.05.2019 in additional information).

क्र.स.	ई.डी.एस.	पालना
1	बिन्दु संख्या 1 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में विभिन्न विकल्पों पर किये गये अध्ययन की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न नहीं किये गये हैं।	बिन्दु संख्या 1 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में विभिन्न विकल्पों पर किये गये अध्ययन की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
2	Bar chart is to be attached but not proper. Kindly attached proper Bar Chart.	proper Bar Chart has been enclosed in additional information.
3	Lay out plan of pipe line in proposed forest area (Cross Section) is attached. किन्तु यूजर एजेन्सी द्वारा प्लान में दिये गये 6 मीटर उंचे पीलर निर्माण हेतु सामग्री परिवहन किस प्रकार किया जावेगा, स्पष्ट किया जाना है।	Attached lay out plan of pipe line में ग्राउण्ड लेवल से उपर पीलर की उंचाई मात्र 0.60 मीटर ही है तथा फोरेस्ट एरिये में कुल पीलरों की संख्या मात्र 27 ही है, जिनके लिए बहुत ही कम मात्र 14.904 क्यूबीक मीटर (12.96 क्यूबीक मीटर ग्राउण्ड लेवल से नीचे फाउण्डेशन में + 1.944 मीटर क्यूबीक मीटर ग्राउण्ड लेवल से उपर) निर्माण सामग्री की आवश्यकता रहेगी, जिसका परिवहन लेबर के द्वारा बहुत ही सुगमता से किया जाएगा।

चूंकि पर्यटन की दृष्टि से चितौड़गढ़ का दुर्ग काफी महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है, जहां पर पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ रखना अति आवश्यक है। इसके लिए प्रस्तावित कार्य का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। अतः कृपया उक्त फोरेस्ट क्लीयरेंस प्रपोजल की शीघ्र स्वीकृति दिलाने का श्रम करावे।

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा० अभि० विभाग,
खण्ड, चितौड़गढ़